न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी,**I.A.S.**

प्रकरण संख्या —54 / 2007 (अपील सीलिंग)

GCMS No.- 2007 / 00003

1. जगदीश प्रसाद मालव आत्मज श्री मोतीलाल
2. रामेश्वर मालव आत्मज श्री मोतीलाल
3. परमानन्द मालव आत्मज श्री मोतीलाल
   जाति धाकड निवासीगण ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. स्व0 श्री मोतीलाल पुत्र नन्द किशोर जाति धाकड निवासी ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये कायम मुकामान—

1/1 श्रीमती अनोख बाई पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा

1/2 श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी श्री कृष्ण जाति धाकड निवासी ग्राम मण्डानियां तहसील लाडपुरा जिला कोटा

1/3 श्रीमती चित्रलेखा पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी श्री कृष्ण जाति धाकड निवासी ग्राम सनीजा बावडी तहसील दीगोद जिला कोटा

1/4 श्रीमती सुशीला बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी श्री प्रभूदयाल जाति धाड निवासी ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

अपील अन्तर्गत राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973 की धारा 23 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी इटावा आदेश दिनांक 30.6.2010

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—26.03.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 22.07.76 के विरूद्व अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा में पेश होने पर अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.1999 से आदेश दिया कि—" गिर्राज वगै0 की अपील स्वीकार की जाकर उनके पास प्रत्येक के हिस्से में सीलिंग सीमा से कम भूमि आती है इसलिये उनकी कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं बनती है इसलिये इनके विरूद्व सीलिंग कार्यवाही किये जाने योग्य नहीं है । यदि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा से इनकी कोई भूमि अधिग्रहण करली गई हो तो उसे नियमानुसार वापस लौटाया जावें । जगदीश, रामेश्वर, व परमानंद पुत्रान श्री मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।" उक्त आदेश की अपील अपीलांट जगदीश वगै0 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल अजमेर के अपील प्रकरण 129/99 निर्णय दिनांक 8.11.2005 से अति0 जिला कलक्टर सीलिंग का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया है कि उनके निर्णय के पैरा 7 में किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारों को सुनकर आवश्यक साक्ष्य लेकर विधिवत निर्णय पारित करें ।

जिला कलेक्टर कोटा

2. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड से अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा को प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकार विभाजन होने से मूल पत्रावली दिनांक

15.01.2007 से इस न्यायालय में भिजवाई गई जो दिनांक 22.1.2007 को दर्ज रजिस्टर की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुंनी गई ।

3. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा ने अपीलांट की अपील खारिज की गई थी, जबकि विवादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण जगदीश का भी उक्त भूमि में हिस्सा बनता है किन्तु अतिरिक्त जिला कलैक्टर ने इस बिन्दु पर गौर नहीं कर विधिक भूल की है । अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी बताया कि दिनांक 1.1.73 को मोतीलाल के सभी पुत्र अवयस्क नहीं थे, उनका पुत्र जगदीश वयस्क था, इसके अतिरिक्त भूमिधारी की 44 बीघा भूमि नहर व केचमेन्ट में चली गई लेकिन इस भूमि को भूमिधारी की भूमि से कम नहीं किया गया तथा उसे भूमिधारी की भूमि में शामिल कर निर्णय पारित कर दिया है जो सर्वथा अनुचित है । इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय के पेरा नं0 7 में किये गये विवेचनानुसार निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है । जिसमें विवेचन किया है कि जहां तक भूमिधारी के पुत्र जगदीश के दिनांक 1.1.73 को बालिग होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वर्ष 1975 में तहसीलदार से प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार सहायक कलेक्टर ने उसे निर्धारित तिथि को नाबालिग माना है किन्तु रिटर्न भरने के पश्चात न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार की रिपोर्ट मांगी गई थी, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई फिर भी निर्णय पारित कर दिया गया । इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि भूमिधारी की 44 बीघा भूमि नहर व केचमेन्ट में चली गई है किन्तु इस भूमि को भूमिधारी की भूमि में जोडकर निर्णय पारित किया गया है । इस बिन्दु पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने स्पष्ट फाईण्डिंग नहीं दी है । राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार दीगोद से दोनों ही बिन्दुओं पर रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार दीगोद द्वारा अपने पत्रांक/1046 दिनांक 17.03.2020 से रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई गई जो पत्रावली में शामिल है । जिस अनुसार जगदीश प्रसाद की उम्र जन्म कुण्डली में 21 जून 1951 अंकित है तथा आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1952 अंकित है । उक्त दोनों दस्तावेजों के आधार पर जगदीश प्रसाद दिनांक 01.01.1973 को बालिग था । साथ ही अपीलांट की 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि नहर में, 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि रोड में चली गई थी एवं इसके पश्चात भू सुधार कार्य में अपीलान्ट की 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि कटौती में जाना बताया है । इस प्रकार जगदीश की अलग यूनिट मानते हुए एवं रोड़ में गई भूमि 8 बीघा 15 बिस्वा एवं केचमेन्ट में गई कुल भूमि 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि की कटौति करते हुए सीलिंग सीमा का निर्धारण होने पर अपीलांट सीलिंग सीमा से बाहर होने से सीलिंग कार्यवाही बन्द की जावें । अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 17.3.2020 जो कि श्रीमान के द्वारा ही तलब की गई थी अनुसार जगदीश की उम्र जन्म कुण्डली में 21 जून 1951 अंकित है तथा आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1952 अंकित है जिस अनुसार दिनांक 1.1.73 को जगदीश बालिग होना साबित होने से सीलिंग कार्यवाही के दौरान जगदीश की पृथक यूनिट बनाई जानी चाहिए, तथा रोड में गई भूमि, एवं केचमेन्ट में निकाली भूमियों को कम करते हुए सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए था, इस प्रकार जगदीश की पृथक यूनिट बनने व रोड में व केचमेंन्ट में गई भूमि को कम करने पर भूमिधारी के विरूद्व सीलिंग की कार्यवाही नहीं बनती है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अति0 जिला कलक्टर सीलिंग कोटा के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल अजमेर के अपील प्रकरण 129/99 निर्णय दिनांक 8.11.2005 से अति0 जिला कलक्टर सीलिंग का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया है कि उनके निर्णय के पैरा 7 में किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारों को सुनकर आवश्यक साक्ष्य लेकर विधिवत निर्णय पारित करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. राजस्व मण्डल अजमेर के पैरा 7 के सम्बन्ध में अपीलांट जगदीश की उम्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई । तथा भूमिधारी की रोड में व केचमेंट में गई भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार दीगोद द्वारा अपने पत्रांक/ भू–अभि0/ 2020/692 दिनांक 25.2.2020 से रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई । जिस अनुसार जगदीश की उम्र जन्म कुण्डली में 21 जून 1951 अंकित है तथा आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1952 अंकित है । तथा उक्त दोनों ही दस्तावेजों से जगदीश प्रसाद दिनांक 01.01.1973 को बालिग बताया है । इसी प्रकार अपीलान्ट की तहसील दीगोद के गांवो की 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि नहर में, 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि रोड में चली गई, तथा इसके पश्चात भू–सुधार कार्य में अपीलान्ट की 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि कटौति की गई । तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार नहर, सड़क व केचमेंट में गई भूमि कुल 52 बीघा 19 बिस्वा बनती है, किन्तु यह कटौतियां 1.1.73 के बाद की है या पूर्व की यह अंकित नहीं है इस प्रकार हम यह मानते है कि जगदीश 1.1.73 को उम्र के सम्बन्ध में जिन दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार दीगोद द्वारा जगदीश को बालिग माना है, वह जन्म कुण्डली व आधार कार्ड को आधार मानकर बालिग बताया है जबकि यह दस्तावेज जन्म तिथि को प्रमाणिकरण करने के लिए अधिकृत दस्तावेज नहीं है । अपीलान्ट जगदीश की उम्र के सत्यापन हेतु अधिकृत दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा से सम्बन्धी दस्तावेज आदि पेश नहीं किये है, जिससे यह साबित नहीं हो रहा है कि जगदीश 1.1.1973 को बालिग था । भूमिधारी की सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए किन्तु जो केचमेंट एवं सड़क आदि में भूमि कम होना बताया है वह 1.1.73 के बाद की है या पूर्व की इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । अपील अस्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय26.06.1999 यथावत रखा जाता है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार भूमिधारी के पुत्र जगदीश 1.1.73 को बालिग होने के पर्याप्त एवं अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से जन्म कुण्डली एवं आधार कार्ड के आधार पर जगदीश को बालिग नहीं माना जा सकता है तथा सड़क, नहर, व केचमेंन्ट में भूमियां जाना बताया है वह भूमियां 1.1.73 के बाद गई है या पूर्व में । इसके इसके सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा का निर्णय दिनांक 26.6.1999 यथावत रखा जाता है । उपखण्ड अधिकारी दीगोद निर्णय दिनांक 26.6.1999 अनुसार कार्यवाही करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर कोटा (राज०)